

GOVERNMENT OF WEST BENGAL OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUM VICE PRINCIPAL NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

138, A.J.C.BOSE ROAD, KOLKATA – 700014. e-mail: <u>nrszmb@gmail.com</u>

No. NH /ZMB/ <u>518</u>7

Date: 21/07/2025

NOTICE

Subject: <u>Decentralisation of Issuance of Railway Concession Forms</u>

Effective immediately, the concerned departments of NRSMC&H, Kol-14, will now issue all types of Indian Railways concession forms (disability, medical, and other eligible concessions) to streamline processes and improve efficiency.

- <u>Key points to note:</u> All railway concession forms filled out and submitted by eligible individuals <u>do not require additional counter-signature from the M.S.V.P. of NRSMC&H, Kol-14.</u>
- <u>Issuance process</u>: The respective departmental heads or assigned signatories are hereby authorised to verify, issue, and endorse railway concession forms for candidates/students/patients eligible under various categories (orthopaedic, blind, cancer, TB etc.) with <u>proper signatures & stamps</u>.
- ✓ Railway concession forms <u>against disability</u> must be issued with proper <u>signatures & stamps</u> <u>along with the registration number</u> of the respected doctors from the relevant departments of NRSMC&H, as per Indian Railways regulations.

Enclosed: All types of Blank Railway Concession Forms and Rules & Regulations by the Indian Railways.

Thank You.

Medical Superintendent — Cum – Vice Principal NRS Medical College & Hospital, Kol-14

Copy Forwarded to No. NH /ZMB/ 5187/CC4)

Date: 2 /07/2025

1) All H.O.D., every concerned department, N.R.S. Medical College & Hospital, Kol.

2) Mr. Arpan Naskar, Assistant Superintendent (NM), N.R.S. Medical College & Hospital, Kol.

3) IT Coordinator, O/o the Principal, N.R.S. Medical College & Hospital, Kol, to publish it in the General Notice section of the NRS website: https://www.nrsmc.edu.in/pages/general notice, please.

4) The In-Charge, Zonal Medical Board, N.R.S. Medical College & Hospital, Kol.

Medical Superintendent - Cum - Vice Principal NRS Medical College & Hospital, Kol-14

LIST OF DIFFERENT CATEGORIES OF PERSONS GARNTED CONCESSION ON INDIAN RAILWAYS ALONGWITH ELEMENT OF CONCESSION

S. No.	CATEGORY OF PERSONS	PERCENTAGE OF CONCESSION	
I	Person with Disabilities (Divyangjan)		
1	Orthopaedically Handicapped/Paraplegic persons who cannot travel without escort - for any purpose	75% in 2nd, SL, 1st Class, 3AC, AC chair Car50% in 1AC and 2AC	
2	Persons with Intellectual Disability who cannot travel without an escort - for any purpose (w.e.f 01.06.2025)	 25% in 3AC & AC Chair Car of Rajdhani/Shatabdi trains 50% in MST & QST 	
3	Persons with Blindness travelling alone or with an escort - for any purpose, where "Blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—	One escort is also eligible for same element of concession	
	 (i) Total absence of sight; or (ii) Visual acuity less than 3/60 (or less than 10/200) by Snellen's chart in better eye with best possible corrections; or (iii) Limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye 		
	Equivalent to visual impairment of 90% and above		
4	Person with hearing and speech impairment totally (both afflictions together in the same person) travelling alone or with an escort - for any purpose.	 50% in 2nd, SL and 1st Class 50% in MST & QST One escort is also eligible for same element of concession 	
II	Patients		
5	Cancer patients travelling alone or with an escort for treatment/periodic check-up.	 75% in 2nd, 1st class & AC chair car 100% in SL & 3AC 50% in 1AC & 2AC One escort is also eligible for same element of concession (except in SL & 3AC where escort gets 75%) 	
6	Thalassemia patients travelling alone or with escort for treatment/periodic check-up	 75% in 2nd, SL, 1st Class, 3AC, AC chair Car 50% in 1AC and 2AC, 	
7	Heart patients travelling alone or with an escort for heart surgery	One escort is also eligible for same element of concession	
8	Kidney patients travelling alone or with an escort for kidney transplant Operation/Dialysis		
9	Haemophilia Patients - severe & moderate form of disease - travelling alone or with an escort for treatment/periodical check up	 75% in 2nd, SL, 1st Class, 3AC, AC chair Car One escort is also eligible for same element of concession 	
10	T.B./Lupas Valgaris patients travelling alone or with an escort for treatment/periodical check-up	 75% in 2nd, SL and 1st Class One escort is also eligible for same element of concession 	

11	Non-infectious Leprosy patients - for treatment/ periodical check-up	 75% in 2nd, SL and 1st Class One escort is also eligible for same element of concession 	
12	AIDS patients - for treatment/check-up at nominated ART Centres.	• 50% in 2nd Class	
13	Ostomy patients - travelling for any purpose	 50% in MST & QST One escort is also eligible for same element of concession. 	
14	Sickle cell Anaemia - for treatment/periodical check-up	• 50% in Sleeper, AC Chair Car, AC 3-tier and AC 2-tier classes	
15	Aplastic Anaemia - for treatment/periodical check-up	• 50% in Sleeper, AC Chair Car, AC 3-tier and AC 2-tier classes	
III	Students		
16	Students going to hometown & educational tours - General Category -	50% in 2nd and SL class50% in MST/QST	
	- SC/ST Category -	75% in 2nd and SL class75% in MST/QST	
	- Girls up to Graduation - Boys up to 12th standard (including students of Madrasa) between home & school	Free second class MST	
17	Students of Govt. schools in rural areas – for study tour - once a year.	75% in 2nd class	
18	Entrance exam - Girls of Govt. schools in rural areas – for national level for medical, engineering, etc. entrance exam.	75% in 2nd class	
19	Concession to students appearing in main written examination conducted by UPSC & Central Staff Selection Commissions.	50% in 2nd class	
20	Foreign students studying in India - travelling to attend camps/seminars organised by Govt. of India and also visit to places of historical & other importance during vacations.	50% in 2nd and SL class	
21	Research scholars up to the age of 35 years – for journeys in connection with research work.	50% in 2nd and SL class	
22	Students and non-students participating in Work Camps	25% in 2nd and SL class	
23	Cadets and Marine Engineers apprentices undergoing Navigational/Engineering training for Mercantile Marine - for travel between home and training ship.	50% in 2nd and SL class	
	I.	1	

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD



COMMERCIAL CIRCULAR NO. 06 OF 2025

No. TC-II/2197/2024/Intellectual Disability (E-3483622) New Delhi, dt.09.05.2025

The Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railway

Chairman & Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

CMD/IRCTC/New Delhi.

SUB: Replacement of Word "Mentally retarded persons who cannot travel without an escort"

REF: 1. IRCA Coaching Tariff No. 26 of Part 1 Vol II.

2. Commercial Circular No. 04 of 2018 dated 12.01.2018.

3. Commercial Circular No. 01 of 2025 dated 22.01.2025.

In continuation of above, Ministry of Railways have now decided to replace the word "Mentally Retarded Persons who cannot travel without an escort" as under:

EXISTING	WORD		то в	E REPLACED	BY
Retarded				Intellectual avel without	

- 2. The above shall be implemented with effect from 01.06.2025.
- 3. The revised proforma for the concession certificate is enclosed herewith. The certificate already issued in the old proforma before 01.06.2025 shall remain valid till the expiry of the validity period.
- 4. There shall be no change in Railway Concession Certificate for "Blindness" as issued vide Commercial Circular No. 01 of 2025.
- 5. There shall be no change in other terms and conditions.
- 6. Necessary changes shall also be ensured in Railway Divyangjan ID Cards, online/offline application forms for such purpose etc.
- 7. CRIS, IRCTC & Zonal Railways may update the revised proforma on their website.
- 8. Zonal Railways may print the revised proforma and make available at all locations/stations to avoid inconvenience. Necessary instructions shall be issued to the all concerned.
- 9. Wide publicity shall be given and updated information shall be ensured at website/stations etc.

(Rohit Kumar) Joint Director Passenger Marketing Railway Board



COMMERCIAL CIRCULAR NO. 06 OF 2025

No. TC-II/2197/2024/ Intellectual Disability (E- 3483622) New Delhi, dt 09.05.2025

Copy forwarded for information & necessary action to:

- 1. CRB & CEO, M(O&BD), Railway Board for information.
- 2. EDPG/MR, OSD/MR, JDPG/MOSR(S), office of MOSR(R) for information.
- 3. PED(Vig), PED(A), EDF(C), EDIP, DPM-II of Railway Board.
- 4. CMD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, near National Rail Museum, New Delhi for necessary Software changes.
- 5. CMD, IRCTC, 11th Floor, Statesmans House, B-148, Barakhambha Road, New Delhi-110 001.
- 6. MD/KRCL, Navi Mumbai.
- 7. PCCM/Northern Railway/New Delhi for arrangement of issue of correction slips to Coaching Tariff.
- 8. Secretary/Ministry of Social Justice and Empowerment for information.

(Rohit Kumar)

Joint Director Passenger Marketing Railway Board

Concession Certificate for three categories of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for Orthopaedically Handicapped / Paraplegic (person/patients) who cannot travel without an escort /Persons with intellectual Disability who cannot travel without an escort/Person with Hearing and Speech impairment totally (Both afflictions together in the same person)

Paste passport size Photograph Duly signed and Stamped by the Issuing Doctor This is to certify that Km/Shri/Smt. _____ whose particulars are furnished below is a bonafide: > ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED / PARAPLEGIC (PERSON/ PATIENTS), WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)* Particulars: a) Address: _ b) Father's/Husband's Name: _ c) Age: _ d) Sex: e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent): f) Signature or thumb impression of the person seeking concession

	(Signature of Government Doctor
Place:	

(not necessary for those with both hands missing or non-functional): _

Clear seal of Government Hospital

Seal containing full name and Registration Number of the Doctor

*Strike out where not applicable.

- 1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARPLEGIC (PERSON/PATIENTS) WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT or PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT or PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- 2) For PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of Orthopaedically/Paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- 3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- 4) No alternation in the form is permitted. This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.

Railway Concession Certificate for "Blindness"

Paste passport
Size Photograph
Duly signed and
Stamped by the
Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smtbonafide person with disability "Blindness" as problems as the confidence of t	per definition where a person has any of the
I. Total absence of sight; or	
II. Visual acuity less than 3/60 or less than 10, possible corrections; or	/200 by Snellen's chart in better eye with best
III. Limitation of field of vision subtending an angl	e of less than 10 degree in better eye.
Particulars: a) Address: b) Father's/Husband's Name: c) Age: d) Sex: e) Nature of Handicap: (either of the above 3 category) f) Signature or thumb impression of the person seeking concession certificate:	ories):
Place: Date:	(Signature of Government Doctor)
Clear seal of Government Hospital	Seal containing full name and Registration Number of the Doctor

- (1) The certificate will be valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- (2) The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- (3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- (4) No alternation in the form is permitted. This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also. Railway Divyangjan ID card can also be prepared on the basis of UDID card/ certificate issued under instructions of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE). The requirement of the above Railway certificate would be dispensed in such case. In this case, the validity of the Railway Divyangjan ID would be co-terminus with the validity of that Unique Disability ID card (UDID)/certificate.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD



2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.. % 6

सं.टीसी-II/2197/2024/ बौद्धिक दिव्यांगता (ई-3483622)

नई दिल्ली, दिनांक 49 .05.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, क्रिस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ आईआरसीटीसी/नई दिल्ली

विषय: "मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते" शब्द का प्रतिस्थापन ।

संदर्भ : 1. भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग टैरिफ सं. 26 का भाग-। जिल्द ॥.

- 2. 2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04, दिनांक 12.01.2018.
- 3. 2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 01, दिनांक 22.01.2025.

उपरोक्त के क्रम में, रेल मंत्रालय ने "मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते" शब्द का प्रतिस्थापन अब निम्नानुसार करने का विनिश्चय किया है:

मौजूदा शब्द	के द्वारा प्रतिस्थापित
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर	बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर
की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते	की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते

- 2. उपर्युक्त को 01.06.2025 से लागू किया जाएगा।
- 3. रियायत प्रमाण पत्र के लिए संशोधित प्रोफार्मा इसके साथ संलग्न है। 01.06.2025 से पूर्व पुराने प्रोफार्मा में पहले से जारी किया गया प्रमाणपत्र, वैधता अवधि की समाप्ति तक वैध रहेगा।
- 4. 2025 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 01 के तहत जारी "दृष्टिहीन" के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र में कोई बदलाव नहीं होगा।
- 5. अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 6. रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र, ऐसे उद्देश्य आदि के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्रों में भी आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित किए जाएंगे।
- 7. क्रिस, आईआरसीटीसी एवं क्षेत्रीय रेलें अपनी वेबसाइट पर संशोधित प्रोफार्मा को अद्यतन करें।
- 8. क्षेत्रीय रेलें असुविधा से बचनें के लिए संशोधित प्रोफार्मा को छपवा कर इसे सभी स्थानों/स्टेशनों पर उपलब्ध कराएं। सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
- 9. व्यापक रूप से प्रचार किया जाए तथा वेबसाइट/स्टेशनों आदि पर अद्यतन जानकारी सुनिश्चित की जाए।

(रोडित कमार)

(रोहित कुमार) संयुक्त निदेशक, यात्री विपणन रेलवे बोर्ड

2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.. 🗘 🖟

सं.टीसी-॥/2197/2024/ बौद्धिक दिव्यांगता (ई-3483622)

नई दिल्ली, दिनांक ७ 9 .05.2025

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाही हेतु निम्नलिखित को अग्रेषित:

- 1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य (परिचालन एवं वाणिज्य विकास), रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ।
- 2. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत /रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत /रेल राज्य मंत्री(एस), रेल राज्य मंत्री (आर) के कार्यालय को सूचनार्थ।
- 3. प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता), प्रधान कार्यपालक निदेशक (ए), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), कार्यपालक निदेशक आईपी, निदेशक यात्री विपणन-II, रेलवे बोर्ड।
- 4. मुख्य प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के पास, नई दिल्ली को आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तन के लिए।
- 5. मुख्य प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
- 6. प्रबंध निदेशक/ केआरसीएल, नवी मुम्बई।
- 7. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/ उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को कोचिंग टैरिफ के शुद्धि पर्चियों को जारी करने की व्यवस्था करने हेतु ।
- 8. सचिव/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सूचनार्थ।

2/000

(रोहित कुमार) संयुक्त निदेशक, यात्री विपणन रेलवे बोर्ड

संलग्न: संशोधित रेलवे रियायत प्रमाणपत्र प्रपत्र (1 पृष्ठ).

नोट: हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के अर्थ में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।

दिव्यांगजन की तीन श्रेणियों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फॉर्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती	जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में:
> शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) है, जो बिना कि	सी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते
> बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं	कर सकते
> पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक स	गाथ) है *
विवरण:	
क) पताः	
ख) पिता/पति का नाम:	
ग) आयु:	
घ) लिंग:	
ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (डॉ॰ द्वारा यह लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी है या स्थायी):
च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	
(जिनके दोनों हाथ नहीं है या काम नहीं करते, उनके लिए आवश्यक नहीं) :	
	(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)
स्थान:	
दिनांक:	
सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर	डॉक्टर के पूरे नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

*जहां लागू न हो उसे काट दें।

- 1) यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज), जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा। शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अविध समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमित नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ पर इस फार्म को भी अपलोड किया जाना है।

"दृष्टिहीन" के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती	जिनके विवरण नीचे दिए गए त्सिकीय जांच के बाद निम्नलिखित	हैं, परिभाषा के में से कोई भी
 (i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा (ii) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन के चार्ट द्वार (iii) बेहतर आंख में 10 डिग्री से कम के कोण (एंगल) को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र 		से कम अथवा
विवरण: क) पता:		
ख) पिता/पति का नाम:		
ग) आयु:		
घ) लिंग:		
ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (उपरोक्त 3 श्रेणियों में से कोई भी):		
च) रियायत प्रमाण पत्र मांगने वाले		
व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान:		
	(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)	
स्थान :	,	
दिनांक:		
—————————————————————————————————————	का पूरा नाम और पंजीकरण संस्	<u>ब्या</u> वाली मोहर

- (1) यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अविध समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- (2) फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- (3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (4) इस फार्म में िकसी भी प्रकार का परिवर्तन िकए जाने की अनुमित नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ पर इस फार्म को भी अपलोड िकया जा सकता है। रेलवे दिव्यांगजन आईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) के निर्देशों के तहत जारी यूडीआईडी कार्ड/प्रमाण पत्र के आधार पर भी तैयार िकया जा सकता है। ऐसे मामले में उपरोक्त रेलवे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में, रेलवे दिव्यांगजन आईडी की वैधता उस विशिष्ट विव्यांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी) / प्रमाण पत्र की वैधता के समान होगी।

Railway Concession Certificate for "Blindness"

Paste passport
Size Photograph
Duly signed and
Stamped by the
Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smtbonafide person with disability "Blindness" as problems as the confidence of t	per definition where a person has any of the
I. Total absence of sight; or	
II. Visual acuity less than 3/60 or less than 10, possible corrections; or	/200 by Snellen's chart in better eye with best
III. Limitation of field of vision subtending an angl	e of less than 10 degree in better eye.
Particulars: a) Address: b) Father's/Husband's Name: c) Age: d) Sex: e) Nature of Handicap: (either of the above 3 category) f) Signature or thumb impression of the person seeking concession certificate:	ories):
Place: Date:	(Signature of Government Doctor)
Clear seal of Government Hospital	Seal containing full name and Registration Number of the Doctor

- (1) The certificate will be valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- (2) The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- (3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- (4) No alternation in the form is permitted. This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also. Railway Divyangjan ID card can also be prepared on the basis of UDID card/ certificate issued under instructions of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE). The requirement of the above Railway certificate would be dispensed in such case. In this case, the validity of the Railway Divyangjan ID would be co-terminus with the validity of that Unique Disability ID card (UDID)/certificate.

Concession Certificate for three categories of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for Orthopaedically Handicapped / Paraplegic (person/patients) who cannot travel without an escort /Persons with intellectual Disability who cannot travel without an escort/Person with Hearing and Speech impairment totally (Both afflictions together in the same person)

Paste passport size Photograph Duly signed and Stamped by the Issuing Doctor This is to certify that Km/Shri/Smt. _____ whose particulars are furnished below is a bonafide: > ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED / PARAPLEGIC (PERSON/ PATIENTS), WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)* Particulars: a) Address: _ b) Father's/Husband's Name: _ c) Age: _ d) Sex: e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent): f) Signature or thumb impression of the person seeking concession

	(Signature of Government Doctor
Place:	

(not necessary for those with both hands missing or non-functional): _

Clear seal of Government Hospital

Seal containing full name and Registration Number of the Doctor

*Strike out where not applicable.

- 1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARPLEGIC (PERSON/PATIENTS) WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT or PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT or PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- 2) For PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of Orthopaedically/Paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- 3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- 4) No alternation in the form is permitted. This form could be uploaded alongwith other required document on https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.

"दृष्टिहीन" के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती	जिनके विवरण नीचे दिए गए त्सिकीय जांच के बाद निम्नलिखित	हैं, परिभाषा के में से कोई भी
 (i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा (ii) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन के चार्ट द्वार (iii) बेहतर आंख में 10 डिग्री से कम के कोण (एंगल) को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र 		से कम अथवा
विवरण: क) पता:		
ख) पिता/पति का नाम:		
ग) आयु:		
घ) लिंग:		
ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (उपरोक्त 3 श्रेणियों में से कोई भी):		
च) रियायत प्रमाण पत्र मांगने वाले		
व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान:		
	(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)	
स्थान :	,	
दिनांक:		
—————————————————————————————————————	का पूरा नाम और पंजीकरण संस्	<u>ब्या</u> वाली मोहर

- (1) यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अविध समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- (2) फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- (3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (4) इस फार्म में िकसी भी प्रकार का परिवर्तन िकए जाने की अनुमित नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ पर इस फार्म को भी अपलोड िकया जा सकता है। रेलवे दिव्यांगजन आईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) के निर्देशों के तहत जारी यूडीआईडी कार्ड/प्रमाण पत्र के आधार पर भी तैयार िकया जा सकता है। ऐसे मामले में उपरोक्त रेलवे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में, रेलवे दिव्यांगजन आईडी की वैधता उस विशिष्ट विव्यांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी) / प्रमाण पत्र की वैधता के समान होगी।

दिव्यांगजन की तीन श्रेणियों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फॉर्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती	जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में:
> शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) है, जो बिना कि	सी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते
> बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं	कर सकते
> पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक स	गाथ) है *
विवरण:	
क) पताः	
ख) पिता/पति का नाम:	
ग) आयु:	
घ) लिंग:	
ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (डॉ॰ द्वारा यह लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी है या स्थायी):
च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	
(जिनके दोनों हाथ नहीं है या काम नहीं करते, उनके लिए आवश्यक नहीं) :	
	(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)
स्थान:	
दिनांक:	
सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर	डॉक्टर के पूरे नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

*जहां लागू न हो उसे काट दें।

- 1) यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज), जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा। शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अविध समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमित नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ https://divyangjanid.indianrail.gov.in/ पर इस फार्म को भी अपलोड किया जाना है।

Concession certificate for patients

Concession to Cancer/ Thalassemia Major/ Heart (only for Heart operation)/ T.B./Lupas Valgaris/ Non-infectious Leprosy / Patients suffering from severe/moderate form of Haemophilia/ AIDS patients for treatment at nominated ART centres / Kidney patients only for dialysis/kidney transplant operation patients/ Sickle cell Anaemia/ Aplastic Anaemia patients -

Outward Journey

Form for the purpose of issue of Rail Concession to Cancer/ Thalassemia Major / Heart (only for heart operation) / T.B./Lupas Valgaris/ Non-infectious Leprosy / Patients suffering from severe/moderate form of Haemophilia/ AIDS patients for treatment at nominated ART centres/ Kidney patients only for dialysis/kidney transplant operation/ Sickle cell Anaemia/ Aplastic Anaemia patients** to be used by Officer-in -charge of the recognized hospital by Health Department of central Government or the concerned State Government

73	
To .	
The Station Master,	
(Station)	
(Railway)	
(2002)	
TPLE to a control of many many	
Inis is to certify that Mr./Mrs./Ms.	whose particulars are furnished below, is bonafide
	' NEOTT OBOROTION / 'P' D /F X7 1 - 1 / 37 - 3
Lean y a more production of the HOLL SOAPING WIND	AIR TOTAL OF HOSmorbiles/ AIDC
Three in the state of the state	IS required to travel from
(Station). The patient has seeingn a	IIIIII SION FOR Transfer and the transfer to the second state of the second state of the second seco
up/operation ** at + hospital/Ir	stitute/centre**
Particulars of the Patie	4
rationals of the Patie	<u>3</u> L
(a) Age	
(b) Sex	
Station	
Date	
Date	Signature
,	Officer-in-charge of the
•	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	(Hospital/Institute recognized by Health
	Department of Central Government/ State
	Government/ Nominated Anti Retroviral
	Therapy(ART) centre in case of AIDS patients)
Seal/Stamp of the	(Name of the State)
hospital/Institute/Centre	
** Strike out where not applicable.	
The state of the s	
+. Indicate name of the Hospital /Institute/ (reco	gnized by Health Department of Central Government or
he State Government concerned)./Nominated Ce	ghized by Health Department of Central Government or
Jy, 5 (January Co.	tte. C.
Note:	
. This certificate is valid for three months f	rom the date of issue except for cancer patients which is
valid for one year.	and the same that the cancer patients which is

Certificate should be issued to patients only for travelling from the station serving his place of

the

recognized

Hospital/Institute/centre.

serving

2.

3.

residence

No alteration in this form is permitted

the

station

to

रोगियों के लिए रियायती प्रमाणपत्र

कैंसर/थेलेसेमिया मेजर/हृदय(सिर्फ हृदय संबंधी ऑपरेशन के लिए)क्षिय रोग/लुपस वलगरिस/असंक्रामक कुष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य हिमोफिलीया से पीडित रोगी/नामित एआरटी केन्द्रों पर उपचार के लिए एडस रोगी/किडनी के रोगी सिर्फ डायलेसिस के लिए/किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के रोगी/सिकल सेल एनिमिया/अप्लास्टिक एनिमिया से पीडित रोगियों को दी जाने वाली रियायत

आउटवर्ड यात्रा

कैंसर/थेलेसेनिया मेजर/हृदय(सिर्फ हृदय संबंधी ऑपरेशन के लिए)क्षिय रोग/लुपस वलगरिस/असंक्रामक कुष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य हिमोफिलीया से पीडित रोगी/नामित एआरटी केन्द्रों पर उपचार के लिए एडस रोगी/किडनी के रोगी सिर्फ डायलेसिस के लिए/किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के रोगी/सिकल सेल एनिमिया/अप्लास्टिक एनिमिया से पीडित रोगियों को दी जाने वाली रियायत के लिए केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए फार्म

सेवा में,	*.*				
स्टेशनः मास्टरः,		•			4.
(E	टेशन)	.*			
(रेल	वि)				
यह प्रमाणित किय	॥ जाता है कि श्री/श्रीम	ती/सुश्री	जिसका	विवरण नीचे दिया	गया है, वास्तव में
कैंसर/थेलेसेमिया मे	जर/हृदय(सिर्फ हृदय संबंध	री ऑपरेशन के लि	ए)/क्षय रोग/लुपस वरू	ागरिस/असंक्रामक कु	ष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य
हिमोफिलीया से पीर्व	डेत रोगी/नामित एआर टी	केन्द्रों पर उपचार के	लिए एडस रोगी/किडन	ों के रोगी सिर्फ डाय	लिसिस के लिए/किडनी
टांसप्लांट ऑपरेशन	के रोगी/सिकल सेल एनिवि	मेया/अप्लास्टिक एनिर्ग	मेया से पीडित रोगी ^{**}	हैं और इन्हें	(स्टेशन)
से	(स्टेशन) तक की	। यात्रा अपेक्षित है	। उक्त रोगी ने _	<u> </u>	+
अस्पताल/संस्थान/कें	 न्द्र में इलाज के लिए द	खिला ले लिया है/आ	वधिक जांच/ऑपरेशन	के लिए यात्रा कर	रहा है।
	,	रोगी का			
w.			•	. •	
(क) अ	ायु				
(ख) বি	त्रंग			- 	
,	•		•		
स्टेशन					,
दिनांक	-	÷		21 10.	m'
		•	•	हस्ताक्ष	प्रभारी अधिकारी
•					सरकार/राज्य सरकार के
					गन्यता प्राप्त अस्पताल/
•			संस्थान/ए	इस रोगी के मामले म	ं नामित एआरटी सेंटर)
	·				(राज्य का नाम)

अस्पताल/संस्थान/केन्द्र की मोहर/सील

- ** जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।
- + अस्पताल/संस्थान/(केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त) नामित सेंटर का नाम दर्शाएं नोट:
 - यह प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए विधि मान्य होगा, कैंसर रोगियों को छोड़कर जिनके लिए यह एक वर्ष के लिए विधि मान्य है।
 - 2. इस फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।
 - 3. यह प्रमाणपत्र रोगियों को केवल उसके निवास स्थल के स्टेशन से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान/सेंटर के स्टेशन तक यात्रा करने के लिए जारी किया जाए।

Concession certificate

Concession to Cancer/ Thalassemia Major/ Heart (only for Heart operation)/ T.B./Lupas Valgaris/ Non-infectious Leprosy / Patients suffering from severe/moderate form of Haemophilia/ AIDS patients for treatment at nominated ART centres / Kidney patients only for dialysis/kidney transplant operation patients/ Sickle cell Anaemia/ Apl astic Anaemia patients -

Return Journey

Form for the purpose of issue of Rail Concession to Cancer/ Thalassemia Major / Heart (only for heart operation) / T.B./Lupas Valgaris/ Non-infectious Leprosy / Patients suffering from severe/moderate form of Haemophilia/ AIDS patients for treatment at nominated ART centres/ Kidney patients only for dialysis/kidney transplant operation/ Sickle cell Anaemia/ Aplastic Anaemia patients** to be used by Officer-in -charge of the recognized hospital by Health Department of central Government or the concerned State Government

	(Station)				
	(Railway)				
bonafide Ca infectious La treatment at cell Anaemi	is to certify that Mr. ncer/ Thalassemia Ma eprosy / Patients suffer nominated ART centre/ a/ Aplastic Anaemia pa (station) on dischar + hos	jor / Heart only fring from severe/marking from severe/marking from the front of the front is really and is really from the front of th	for heart ope oderate form mly for dialys equired to tra examination/	eration / T.B./Lupa of Haemophilia/ sis/kidney transplant evel from	s Valgaris/ Non- AIDS patients for t operation/Sickle (Station) to
	·		· .	·	•
·	Particulars	of the Patient			
<i>(-</i>)	A				
(a) (b)	Age Sex	į.			
(0)	DUX	,			
Station					
			Ciamatana		
Date	 _		Signature		•
			Off	ficer-in-charge of th	е
			Department Governmen	ospital/Institute reco t of Central Gov nt/ Nominated RT) centre in case o	vernment/ State Anti Retroviral
		·	(Na	ame of the State)	
Seal/Stamp	of the	. *			•
Hospital/Ins	titute/Centre			•	
** Strike ou	t where not applicable.				•

Note:

1. This certificate is valid for three months.

the State Government concerned)/Nominated Centre.

- 2. No alteration in this form is permitted.
- 3. Certificate should be issued to patients only for travelling from the station serving the recognized hospital/Institute/centre to the station serving his place of residence.

+. Indicate name of the Hospital/Institute recognized by Health Department of Central Government or

रियायती प्रमाणपत्र

कैंसर/थेलेसेमिया मेजर/हृदय(सिर्फ हृदय संबंधी ऑपरेशन के लिए)/क्षय रोग/लुपस वलगरिस/असंक्रामक कुष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य हिमोफिलीया से पीड़ित रोगी/नामित एआरटी केन्द्रों पर उपचार के लिए एडस रोगी/किडनी के रोगी सिर्फ डायलेसिस के लिए/किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के रोगी/सिकल सेल एनिमिया/अप्लास्टिक एनिमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली रियायत

वापसी यात्रा

कैंसर/थेलेसेमिया मेजर/हृदय(सिर्फ हृदय संबंधी ऑपरेशन के लिए)क्षिय रोग/लुपस वलगरिस/असंक्रामक कुष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य हिमोफिलीया से पीडित रोगी/नामित एआरटी केन्द्रों पर उपचार के लिए एडस रोगी/किडनी के रोगी सिर्फ डायलेसिस के लिए/किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के रोगी/सिकल सेल एनिमिया/अप्लास्टिक एनिमिया से पीडित रोगियाँ को दी जाने वाली रेल संबंधी रियायत के लिए केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए फार्म

सेवा में,				
स्टेशन मास्टर	τ,			
	(स्टेशन)			
	(रेलवे)			·
यह प्रमाणित	ा किया जा	ता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री जिनका वि य(सिर्फ हृदय संबंधी ऑपरेशन के लिए)/क्षय रोग/लुपस वलग	वरण नीचे दिया रिस/असंक्रामक क	गया हैं, वास्तव में ष्ठ रोग/गंभीर/सामान्य
कसर/चलसाम	ाया मजर/हर	वि(सिक हृदय संबंदा जायरशान का लिए)वाच राज्या मेलिनिनी	के नेनी चिक्र हा	गर्वमिस के लिए/किड़नी
हिमोफिलीया टांसप्लांट ऑ	से पाड़ित र परेशन के रो	गी/नामित एआरटी केन्द्रों पर उपचार के लिए एडस रोगी/किडनी गी/सिकल सेल, एनिमिया/अप्लास्टिक एनिमिया से पीडित रोगी ^{#K}	है और रोगी द्वार	T
+ अस्पताल/	/संस्थान/सेंटर	से पुन: जांच/आवधिक जांच/ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होने	पर	(स्टेशन) से
		_ (स्टेशन) तक की यात्रा अपेक्षित है।		
		रोगी का विवरण	•	
(क)	आय्			
(ख)	लिंग			
स्टेशन	·			
दिनांक	A		हस्ताः	TT
				प्रभारी अधिकारी
			(केन्दीय	सरकार/राज्य सरकार के
		स्वास	•	मान्यता प्राप्त अस्पताल/
			•	में नामित एआरटी सेंटर)
- -	•	(1/ 41011/5)	** ** ** **	(राज्य का नाम)

अस्पताल/संस्थान/कॅन्द्र की मोहर

** जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।

- + अस्पताल/संस्थान/(केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त) नामित सेंटर का नाम दर्शाएं नोट:
 - 1. यह प्रमाणपत्र तीन महीने के लिए मान्य होगा.
 - 2. इस फार्म में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
 - 3. यह प्रमाणपत्र रोगियों को मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान/सेंटर से संबद्ध स्टेशन से उनके निवास स्थान से संबद्ध स्टेशन तक की यात्रा के लिए जारी किया जाए।